

पत्रांक 2209 / 3सी (व.भू)

दिनांक 16 / 10 / 2022

✓ सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी०)
(FP/UK/ROAD/151552/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, देहरादून का पत्रांक-8बी0/यू0सी0पी0/06/51/2022/एफ0सी0/613 दि० 27.07.22।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त विषयक वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा 4 बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या तैयार कर आनलाईन प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है-

प्रश्न	उत्तर
1- The road is proposed to provide connectivity to one village having population of 120 & involves felling of 179 trees in proposed road width of 9 m. Since the purpose of providing connectivity to the village can be solved even after reducing the road width up to 5 or 6m. The State Govt. is requested to review the same and minimize the number of trees proposed to be felled.	उक्त मोटर मार्ग के समरेखन में 6मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर वृक्षों की सूची आनलाईन प्रेषित की जा रही है।
2- The locations of all the villages to be benefited by the proposed road are not marked on the KML file. Accordingly, the State Govt. is requested to mark the locations of the concern villages in the KML file and upload the same in the online portal.	प्रस्तावित समरेखन की के०एम०एल० फाईल में ग्राम चन्द्रपुर को चिह्नित कर आनलाईन प्रेषित किया जा रहा है।
3. On the perusal of KML file submitted by the user agency it seems that the KML file submitted does not correspond to the actual ground points. This is evident from the fact that at several places the bends on the proposed alignment as well as the alternate alignment have an angle of 90 degrees. It is requested to the State Govt. /user agency to revise the KML file accordingly. This will prevent any change in layout while executing the work.	प्रस्तावित समरेखन की के०एम०एल० फाईल पुनः सही तैयार कर आनलाईन प्रेषित किया जा रहा है।
4- The User Agency shall clarify if the recommendations numbered 6, 7 & 8 mentioned in the geologist's report is being complied with. A copy of estimate with the provisions made with respect to above recommendations be submitted.	वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु आनलाईन प्रस्तुत किया गया है। सैद्धान्तिक एवं विधिवत् स्वीकृति के पश्चात् उत्तराखण्ड शासन को विस्तृत आगणन प्रेषित किया जायेगा। भू-वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या के बिन्दु सं० 6, 7 व 8 का विस्तृत आगणन में विभाग द्वारा पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(इ० आशुतोष कुमार)

अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०भाग, अल्मोड़ा